

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 दिसम्बर 2025

शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक एवं भृत्य/चौकीदार पद हेतु शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण

क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3.—राज्य शासन एतद्द्वारा शासन के समस्त विभागों/कार्यालयों में शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक एवं भृत्य/चौकीदार के सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति हेतु उक्त पदों के लिए

निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाती है :—

पद का नाम (1)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (2)
शीघ्रलेखक	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. (2) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से— (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए— हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए— अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). (ग) द्विभाषी-शीघ्रलेखक के लिए— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).
डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा. (2) डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा. (3) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परीषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र.
स्टेनो टायपिस्ट	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र.

(1)	(2)
	(4) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र.
सहायक ग्रेड-3	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक के पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र. (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) (4) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र.
वाहन चालक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण. (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी वाहन चालन का लाईसेंस.
भृत्य/चौकीदार	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण.

2. इस परिपत्र के जारी होने के फलस्वरूप शासन के समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी. अतः जब तक प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती, तब तक समस्त विभागों के भर्ती नियम स्वमेव संशोधित माने जायेंगे तथा आगामी जारी होने वाले विज्ञापनों में उक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही भर्ती की कार्यवाही की जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 नवम्बर 2025

क्रमांक/2609/एफ-11/21/2018/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1241/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2, रायपुर दिनांक 13-03-2024 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन नेफेड एवं एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PMAASHA) के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत किये जाने पर मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 नवम्बर 2025

क्रमांक/2611/एफ-11/21/2018/14-2.— भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र./एल-15016/95/2020-एमपीएस दिनांक 29-10-2024 द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PMAASHA) के जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर एवं सरसों फसल का प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) योजनांतर्गत चयनित जिलों में उपार्जन एवं भण्डारण हेतु राज्य शासन, एतद्वारा निम्नानुसार उपार्जन केन्द्र एवं भण्डारण केन्द्र स्टेट वेयरहाउस गोदाम (डब्ल्यू.डी.आर.ए. से प्रमाणित) अधिसूचित किए जाते हैं :—

क्र.	जिला		विकासखंड	उपार्जन केन्द्र		सम्बद्ध भंडारण केन्द्र	
1	2		3	4		5	
1	संभाग रायपुर						
1	1	रायपुर	आरंग	1	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, चपरीद	1	CGSWC मंदिर हसौद रायपुर
				2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, पलौद	2	CGSWC अमेठी
			तिल्दा	3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तिल्दा नेवरा	3	CGSWC तिल्दा नेवरा रायपुर
	2	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	4	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, बलौदाबाजार	4	CGSWC बलौदाबाजार
			पलारी	5	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अमेरा		
			भाटापारा	6	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, धुराबांधा		
			सिमगा	7	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, सिमगा		
			कसडोल	8	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कसडोल		
	3	गरियाबंद	फिंगेश्वर	9	कृषक सेवा सहकारी समिति राजिम	5	CGSWC गरियाबंद
				10	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, फिंगेश्वर		
			छुरा	11	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, रसेला		
				12	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, चरौदा		
				13	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, पांडुका		
			गरियाबंद	14	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, गरियाबंद		
				15	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, मैनपुर		
			मैनपुर	16	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, अमलीपदर		
				17	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, भेजीपदर(कांडेकला)		
				18	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, ढोर्डा		
				19	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, तेतलखुटी		
			देवभोग	20	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, देवभोग		
				21	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, झाखरपारा		
	4	धमतरी	धमतरी	22	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, तरसीवा	7	CGSWC धमतरी
				23	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, लोहरसी		
				24	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, छाती		
			नगरी	25	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, नगरी	8	CGSWC भाठागांव कुरुद
				26	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कातलबोड़		
			कुरुद	27	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, भखारा		
				28	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कुरुद		
			मगरलोड़	29	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मगरलोड़		

क्र.	जिला	विकासखंड	उपार्जन केन्द्र				सम्बद्ध भंडारण केन्द्र	
1	2	3	4				5	
2	संभाग दुर्ग							
	5	दुर्ग	पाटन	30	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति पाटन	9	CGSWC पाटन	
			धमधा	31	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति अहिवारा	10	CGSWC धमधा	
				32	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति धमधा			
				33	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति लिटिया			
				34	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कन्हारपुरी			
				35	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति गोटा			
			दुर्ग	36	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति चंद्रखुरी	11	CGSWC हथखोज	
	6	बालोद	गुंडरदेही	37	सेवा सहकारी समिति भाठागांव बी	12	CGSWC गुंडरदेही	
				38	सेवा सहकारी समिति कसौंदा			
			बालोद	39	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, सांकरा ज.	13	CGSWC बालोद	
				40	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, निपानी			
				41	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, लाटाबोड़			
				42	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, पीपरछेड़ी			
			गुरुर	43	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, फागुनदाह	14	CGSWC चिटौद	
				44	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, गुरुर			
				45	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, सनौद			
				46	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, बासीन			
			डौंडी	47	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, डौंडी	15	CGSWC डौंडी	
				48	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, चिखलाकसा			
			डौंडीलोहारा	49	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, डौंडीलोहारा	16	CGSWC संबलपुर	
				50	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, सुरेगांव	17	CGSWC कोटेरा	
				51	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, देवरी	18	CGSWC देवरी	
				52	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, नाहंदा			
				गुंडरदेही	53	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, गुंडरदेही	19	CGSWC गुंडरदेही
					54	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, अर्जुन्दा	20	CGSWC मटेवा (अर्जुन्दा)
	7	राजनांदगांव	राजनांदगांव	55	स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (SMKUPCL) सुकुलदैहान (राजनांदगांव)	21	CGSWC राजनांदगांव	
				56	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, घुमका			
				57	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पदुमतरा			
				58	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सोमनी			
			छुरिया	59	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, छुरिया	22	CGSWC डोंगरगांव	
				60	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कुमरदा			
				61	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, गंदाटोला			
				62	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, गहिराभेड़ी			
			डोंगरगांव	63	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, डोंगरगांव	22	CGSWC डोंगरगांव	
				64	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, तुमड़ीबोड़			
				65	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कोकपुर			
				66	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, खुर्सीपार			
			डोंगरगढ़	67	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, अछोली	23	CGSWC डोंगरगढ़	
				68	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मुसरा			
				69	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मोहारा			
				70	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, लालबहादुर नगर			
	8	खैरागढ़	खैरागढ़	71	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, अतरिया	24	CGSWC कटगीकला, खैरागढ़	
			72	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मुढ़ीपार				
			छुईखदान	73	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, गंडई			
	9	बेमेतरा	बेमेतरा	74	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, दाढ़ी	25	CGSWC बेमेतरा	
			75	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, खंडसरा				

क्र.	जिला	विकासखंड	उपार्जन केन्द्र		सम्बद्ध भंडारण केन्द्र	
1	2	3	4		5	
10	कबीरधाम	नवागढ़	76	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, नवागढ़	26	CGSWC थानखम्हरिया
		साजा	77	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, थानखम्हरिया		
			78	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, ठेलका		
			79	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, साजा		
		बेरला	80	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, परपोड़ी	27	CGSWC राखी, साजा
			81	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, देवरबीजा		
			82	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बेरला		
			83	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बिरकोना		
		कवर्धा	84	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, रेंगाखारखुर्द	28	CGSWC कबीरधाम
			85	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, नेवारी		
			86	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बम्हनी		
			87	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, इंदौरी		
			88	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, रबेली		
			89	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मरका		
			90	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कोको		
			91	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बानो		
			92	नवीन कृषि उपज मंडी, तालपुर		
			93	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पिपरिया		
			94	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, दशरंगपुर		
			95	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मैनपुरी		
			96	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, धरमपुरा		
			97	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, खपरी		
		बोडला	98	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, तरेगांव मैदान		
			99	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, झलमला		
			100	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बैजलपुर		
			101	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, राजानवागांव		
			102	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, महाराजपुर		
			103	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, लालपुरकला		
			104	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, खडौदा खुर्द		
			105	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सारंगपुर कला		
			106	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पोड़ी		
			107	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, हरिनछपरा		
			108	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बोडला		
			109	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, चिल्फी		
			110	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, खैरबनाखुर्द		
			111	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, खैरबनाकला (महा)		
			112	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, तरेगांव जंगल		
		पंडरिया	113	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पाण्डातराई	29	CGSWC पंडरिया
			114	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मोहगांव		
			115	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, करपीगोड़ान		
			116	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कुआमालगी		
			117	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, दामापुर		
			118	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, रुसे		
			119	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कुम्ही		
			120	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पेण्डी कला		
			121	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बोडतराखुर्द		
			122	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कामठी		
		पंडरिया	123	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कापादाह		
			124	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, दुल्लापुर		
			125	कृषि उपज मंडी, पंडरिया		
			126	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पंडरिया		
			127	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, दशरंगपुर		
			128	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कुण्डा		
			129	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, महली		
			130	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कुकदुर		
			131	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कोदवागोड़ान		

क्र.	जिला		विकासखंड	उपार्जन केन्द्र		सम्बद्ध भंडारण केन्द्र	
1	2		3	4		5	
			सहसपुर लोहारा	132	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सहसपुर लोहारा	30	CGSWC बीरनपुर लोहारा
				133	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बचेडी		
				134	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, गोछिया		
				135	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, धरमगढ़		
				136	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, रणवीरपुर		
				137	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, रणजीतपुर		
				138	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बिड़ोरा		
				139	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बड़ौदाकला		
				140	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, राम्हेपुर खुर्द		
				141	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, रेंगाखार जंगल		
				142	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बीरनपुरकला		
				143	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बाजार चारभांठा		
				144	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, रामपुर (ठाठापुर)		
				145	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, विरेन्द्रनगर		
				146	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सूरजपुरा जंगल		
3	संभाग बिलासपुर						
	11	मुंगेली	मुंगेली	147	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मुंगेली	31	CGSWC शिवपुर
				148	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, टेढ़ाधौरा	32	CGSWC करहीधपई, मुंगेली
			पथरिया	149	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पथरिया	33	CGSWC गिधपुरी
				150	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सिलदहा	34	CGSWC पथरिया
			लोरमी	151	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, ढिढोरी		35
				152	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, लोरमी		
	12	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	पेण्ड्रा	153	आदिम जाति प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पेण्ड्रा	36	CGSWC पेण्ड्रारोड
			गौरेला				
			मरवाही				
	13	कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	154	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जटगा	37	CGSWC कटघोरा
				155	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोरबी		
	14	जांजगीर	नवागढ़	156	सेवा सहकारी समिति, जांजगीर	38	CGSWC केरारोड
			अकलतरा	157	सेवा सहकारी समिति, अकलतरा	39	CGSWC अकलतरा-1
			पामगढ़	158	सेवा सहकारी समिति, पामगढ़	40	CGSWC अकलतरा-2
			बम्हनीडीह	159	सेवा सहकारी समिति, बम्हनीडीह	41	CGSWC सारागांव एवं जगदल्ला चांपा
	15	रायगढ़	खरसिया	160	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, मुरा	42	CGSWC जूट मिल रोड़, रायगढ़
			पुसौर	161	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कोड़ातराई		
			रायगढ़	162	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कोतरा		
			घरघोड़ा	163	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कुड्डुमकेला	43	CGSWC घरघोड़ा
				164	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, घरघोड़ा		
			लैलूंगा	165	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, लैलूंगा		
			तमनार	166	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, तमनार		
			धरमजयगढ़	167	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, धरमजयगढ़		
	168	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, छाल					
	16	सारंगढ़	सारंगढ़	169	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, दानसरा	44	CGSWC सारंगढ़
				170	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, अमझर		
171				प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, नौरंगपुर			
172				प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सहसपुर			

क्र.	जिला		विकासखंड	उपार्जन केन्द्र		सम्बद्ध भंडारण केन्द्र		
1	2		3	4		5		
			बरमकेला	173	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बरमकेला	45	CGSWC देवगांव, बरमकेला	
				174	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, गोबरसिंघा			
				175	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बार			
4	संभाग सरगुजा							
17	बलरामपुर	रामानुजगंज	176	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, भंवरमाल	46	CGSWC रामानुजगंज		
			177	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, महावीरगंज				
		बलरामपुर	178	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, तातापानी			47	CGSWC जवाहर नगर
			179	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, पस्ता				
			180	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, डौरा (पस्ता)				
			181	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, महाराजगंज	48	CGSWC राजपुर		
			182	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, लिलौटी				
		वाड्डफनगर	183	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, विरेन्द्रनगर	49	CGSWC प्रेमनगर,		
			184	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, वाड्डफनगर				
			185	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बसंतपुर				
			186	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बरतीकला				
			187	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, बड़कागांव				
		रामचन्द्रपुर	188	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, त्रिकुण्डा	50	CGSWC सनावल		
			189	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कामेश्वरनगर				
18	सूरजपुर	सूरजपुर	190	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सूरजपुर	51	CGSWC नमदगिरी सूरजपुर		
		भैयाथान	191	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, सोनपुर (बंजा)				
		रामानुजनगर	192	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, श्रीनगर				
		प्रेमनगर	193	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, महागाई				
		प्रतापपुर	194	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, प्रतापपुर	52	CGSWC करंजवार, प्रतापपुर		
			195	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, चंदौरा				
		भैयाथान	196	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, चंद्रमेड़ा				
19	सरगुजा	लुण्डा	197	प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कल्याणपुर	53	CGSWC बेलकोटा		
			198	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, ससौली				
			199	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, डुमरडीह				
			200	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, कुंदीकला				
		मैनपाट	201	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, बरगीडीह	54	CGSWC बनेया		
			202	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, राजापुर				
			203	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, कमलेश्वरपुर	55	CGSWC नवापारा, लखनपुर		
			204	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, कुन्नी				
		लखनपुर	205	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, चांदो				
			उदयपुर	206	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, उदयपुर			
20	जशपुर	बगीचा	207	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बगीचा	56	CGSWC बगीचा (रायकेरा)		
			208	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बिमड़ा				
			209	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुरौंग				
			210	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सन्ना				
			211	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पण्ड्रापाट				
		फरसाबहार	212	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, तपकरा	57	CGSWC फरसाबहार		
			213	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, कोनपारा				
		पत्थलगांव	214	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, घरजियाबथान	58	CGSWC केशकछार, पत्थलगांव		
			215	धान उपार्जन केन्द्र, गाला				
		21	मनेन्द्रगढ़	भरतपुर	216	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जनकपुर	59	CGSWC जनकपुर
मनेन्द्रगढ़	217			आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चैनपुर	60	CGSWC मनेन्द्रगढ़		

क्र.	जिला	विकासखंड	उपार्जन केन्द्र	सम्बद्ध भंडारण केन्द्र
1	2	3	4	5
5	संभाग बस्तर			
	22	कोंडागांव	218 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, कोंडागांव	61 CGSWC कोंडागांव
		फरसगांव	219 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, फरसगांव	
		माकड़ी	220 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, माकड़ी	
		केशकाल	221 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, केशकाल	
		बड़ेराजपुर	222 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, बड़ेराजपुर	

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 नवम्बर 2025

क्रमांक/2613/एफ-11/21/2018/14-2.— भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र./एल-15016/95/2020-एमपीएस दिनांक 29-10-2024 द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर एवं सरसों फसल का प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) योजनांतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु राज्य शासन, एतद्वारा उक्त फसलों के खरीफ 2024 में जिलावार बोवाई क्षेत्र, अनुमानित उत्पादन एवं औसत उत्पादकता निम्नानुसार अधिसूचित किए जाते हैं :—

S. No	Name of District	Tur			Urd			Moong			Soybean		
		Sown area (000 Hac.)	Expected production (000 MT)	Average yield (Kg/Hac)	Sown area (000 Hac.)	Expected production (000 MT)	Average yield (Kg/Hac)	Sown area (000 Hac.)	Expected production (000 MT)	Average yield (Kg/Hac)	Sown area (000 Hac.)	Expected production (000 MT)	Average yield (Kg/Hac)
1	Raipur	0.09	0.04	426	0.03	0.01	455	0.01	0.00	489	0.01	0.02	1247
2	Balodabazar	0.05	0.02	360	0.07	0.03	523	0.00	0.00	0	0.19	0.19	1027
3	Gariyband	0.38	0.13	332	1.18	0.48	412	0.01	0.00	193	0.00	0.00	0
4	Mahasamund	0.10	0.03	358	6.95	1.85	267	0.33	0.08	246	0.00	0.00	0
5	Dhamtari	0.06	0.03	517	0.50	0.25	509	0.02	0.01	658	0.00	0.00	0
6	Durg	0.96	0.51	529	0.03	0.01	351	0.01	0.00	351	1.67	1.34	802
7	Balod	0.10	0.06	598	0.19	0.07	388	0.01	0.01	470	0.00	0.00	0
8	Bemetara	2.59	1.47	570	0.04	0.02	390	0.01	0.00	463	2.00	0.96	477
9	Rajnandgaon	0.40	0.24	597	0.05	0.02	369	0.00	0.00	0	1.83	1.37	747
10	Khairagarh	1.50	0.94	626	0.27	0.10	369	0.01	0.00	737	9.20	6.10	663
11	Manpur-Mohla	0.13	0.08	605	0.10	0.04	399	0.00	0.00	0	0.01	0.00	671
12	Kabirdham	4.85	3.09	637	0.58	0.26	452	0.00	0.00	0	6.71	6.68	995
13	Bilaspur	0.01	0.01	571	0.01	0.00	361	0.00	0.00	0	0.01	0.00	911
14	GPM	0.32	0.19	588	0.93	0.34	367	0.01	0.00	250	0.00	0.00	0
15	Mungeli	0.70	0.40	573	0.02	0.00	246	0.00	0.00	0	0.17	0.17	990
16	Janjgeer	0.02	0.01	600	0.03	0.01	360	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
17	Sakti	0.01	0.00	714	0.08	0.04	449	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
18	Korba	0.51	0.30	580	0.97	0.40	411	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
19	Raigarh	2.03	1.34	660	8.69	2.08	239	0.33	0.22	664	0.00	0.00	0
20	Sarangarh	0.01	0.00	444	1.17	0.69	590	0.13	0.07	514	0.00	0.00	0
21	Jashpur	4.96	2.58	520	9.13	3.57	391	0.03	0.01	327	0.00	0.00	0
22	Sarguja	3.22	1.86	578	4.37	2.37	542	0.01	0.00	202	0.00	0.00	0
23	Surajpur	2.55	1.75	687	3.72	1.31	352	0.01	0.00	219	0.00	0.00	0
24	Balrampur	3.02	1.68	557	2.26	0.72	317	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
25	Koriya	1.78	1.23	693	2.04	0.80	390	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
26	Manendragarh	2.29	1.54	674	1.24	0.47	380	0.01	0.00	651	0.00	0.00	0
27	Jagdulpur	0.14	0.08	531	1.69	0.65	384	0.01	0.00	0	0.00	0.00	0
28	Kondagaon	0.05	0.03	587	8.61	3.68	427	0.04	0.02	528	0.00	0.00	0
29	Narayanpur	0.00	0.00	667	1.07	0.46	428	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
30	Dantewada	0.06	0.04	638	0.47	0.18	390	0.07	0.02	325	0.00	0.00	0
31	Sukma	0.15	0.09	592	0.21	0.08	364	0.44	0.16	358	0.00	0.00	0
32	Beejapur	0.01	0.00	0	1.06	0.43	403	0.12	0.06	500	0.00	0.00	0
33	Kanker	0.08	0.04	512	3.23	1.38	426	0.03	0.02	600	0.00	0.00	0
	Total	33.04	19.77	599	57.72	21.41	371	1.60	0.69	429	21.81	16.84	772

S. No.	Name of District	Groundnut			Gram			Lentil			Rapeseed Mustard		
		Sown area (000 Hac.)	Expected production (000 MT)	Average yield (Kg/Hac)	Sown area (000 Hac.)	Expected production (000 MT)	Average yield (Kg/Hac)	Sown area (000 Hac.)	Expected production (000 MT)	Average yield (Kg/Hac)	Sown area (000 Hac.)	Expected production (000 MT)	Average yield (Kg/Hac)
1	Raipur	0.06	0.07	1345	0.58	0.67	1155	0.32	0.21	651	1.61	0.80	499
2	Balodabazar	0.02	0.02	1045	0.26	0.27	1043	0.13	0.05	390	0.67	0.27	405
3	Gariyband	0.18	0.18	1029	0.04	0.04	901	0.01	0.00	371	0.02	0.01	381
4	Mahasamund	2.39	2.32	974	0.02	0.02	948	0.00	0.00	390	0.07	0.03	405
5	Dhamtari	0.01	0.01	1000	4.81	7.47	1553	0.06	0.03	403	1.22	0.63	517
6	Durg	0.00	0.00	0	11.77	11.93	1013	0.51	0.19	378	2.72	1.06	389
7	Balod	0.00	0.00	0	12.92	16.02	1240	0.12	0.05	398	1.48	0.70	472
8	Bemetara	0.66	0.84	1261	42.28	35.17	832	3.27	1.46	448	0.53	0.25	466
9	Rajnandgaon	0.00	0.00	0	24.00	27.12	1130	2.82	1.17	415	0.34	0.13	392
10	Khairagarh	0.00	0.00	0	57.86	63.30	1094	1.54	0.54	351	0.02	0.01	417
11	Manpur-Mohla	0.00	0.01	0	0.30	0.36	1201	0.14	0.05	383	0.12	0.05	446
12	Kabirdham	0.76	1.30	1702	73.16	70.67	966	1.98	0.61	311	0.17	0.07	395
13	Bilaspur	0.01	0.01	1091	0.05	0.05	920	0.01	0.00	369	0.01	0.00	333
14	GPM	0.21	0.26	1229	0.21	0.21	986	0.09	0.03	363	0.21	0.08	394
15	Mungeli	0.81	0.83	1031	16.97	16.93	998	0.32	0.10	325	0.06	0.02	339
16	Janjgeer	0.01	0.01	1200	0.04	0.04	1075	0.00	0.00	0	0.07	0.03	500
17	Sakti	0.03	0.04	1482	0.02	0.02	1278	0.00	0.00	0	0.22	0.13	616
18	Korba	0.10	0.09	927	0.05	0.04	854	0.00	0.00	325	0.05	0.01	333
19	Raigarh	1.91	1.77	925	0.13	0.12	944	0.06	0.02	337	0.99	0.44	445
20	Sarangarh	0.45	0.52	1159	0.00	0.00	1000	0.00	0.00	0	0.24	0.10	438
21	Jashpur	4.26	5.14	1207	0.73	0.65	884	0.34	0.11	326	3.21	1.29	400
22	Sarguja	0.33	0.36	1082	1.08	0.87	812	1.05	0.46	441	3.92	1.77	452
23	Surajpur	2.05	2.25	1095	0.59	0.51	874	0.37	0.14	368	3.22	1.55	481
24	Balrampur	0.51	0.43	849	0.11	0.09	852	0.07	0.02	330	4.34	1.78	409
25	Koriya	0.31	0.29	923	0.18	0.15	833	0.13	0.05	390	0.76	0.38	492
26	Manendragarh	0.04	0.03	914	0.20	0.15	785	0.02	0.01	352	0.99	0.42	425
27	Jagdulpur	0.01	0.02	1800	0.15	0.12	862	0.05	0.01	262	0.05	0.03	491
28	Kondagaon	0.01	0.02	1231	0.19	0.19	990	0.00	0.00	448	0.02	0.01	542
29	Narayanpur	0.00	0.00	0	0.03	0.02	862	0.00	0.00	331	0.01	0.00	500
30	Dantewada	0.00	0.00	0	0.00	0.00	500	0.00	0.00	0	0.03	0.01	424
31	Sukma	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
32	Beejapur	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
33	Kanker	0.00	0.00	0	0.12	0.09	809	0.08	0.02	301	0.02	0.01	348
Total		15.12	16.82	1112	248.70	253.22	1018	13.39	5.33	398	27.37	12.07	441

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्रमांक/2635/एफ-11/21/2018/14-2.— भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र./एल-15016/95/2020-एमपीएस दिनांक 29-10-2024 द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PMAASHA) के जारी संशोधित दिशा-निर्देश के अनुक्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर एवं सरसों

फसल का प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) योजनांतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त फसलों के क्रॉप कैलेंडर यथा बोनी, कटाई की अवधि तथा उपार्जन अवधि निम्नानुसार अधिसूचित की जाती है :—

स. क्र.	फसल	बोनी अवधि	कटाई अवधि	उपार्जन अवधि
खरीफ फसल				
1	अरहर	माह जून के अंतिम सप्ताह से माह जुलाई के अंतिम सप्ताह तक	माह दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह से माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक	15 फरवरी 2026 से 15 मई 2026
2	उड़द	माह जुलाई के प्रथम सप्ताह से माह जुलाई के अंतिम सप्ताह तक	माह सितंबर के तृतीय सप्ताह से माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक	1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026
3	मूंग	माह जुलाई के प्रथम सप्ताह से माह जुलाई के अंतिम सप्ताह तक	माह सितंबर के तृतीय सप्ताह से माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक	1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026
4	सोयाबीन	माह जून के द्वितीय सप्ताह से माह जुलाई के अंतिम सप्ताह तक	माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से माह नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक	1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026
5	मूंगफली	माह जून के द्वितीय सप्ताह से माह जुलाई के अंतिम सप्ताह तक	माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से माह नवंबर के अंतिम सप्ताह तक	1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026
रबी फसल				
6	चना	माह अक्टूबर प्रथम सप्ताह से माह दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक	माह फरवरी प्रथम सप्ताह से माह अप्रैल के द्वितीय सप्ताह तक	01 मार्च 2026 से 30 मई 2026
7	मसूर	माह अक्टूबर द्वितीय के सप्ताह से माह नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक	माह फरवरी प्रथम सप्ताह से माह मार्च के अंतिम सप्ताह तक	01 मार्च 2026 से 30 मई 2026
8	सरसों	माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से माह दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक	माह जनवरी के प्रथम सप्ताह से माह मार्च के अंतिम सप्ताह तक	15 फरवरी 2026 से 15 मई 2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/694/05/अ 82/2024-25.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	रतनपुर	बिरगहनी	0.809 हे.	बांसाझाल व्यपवर्तन योजना डूबान क्षेत्र

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई दिनांक 08-01-2026 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन ग्राम बिरगहनी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बांसाझाल व्यपवर्तन योजना डूबान क्षेत्र
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	बांसाझाल व्यपवर्तन योजना डूबान क्षेत्र
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचाई सुविधा का विस्तार
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	अध्ययन दल के गठन के पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(वर्ग मीटर में)

(1)

(2)

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

135/1

16.73

प्र. क्रमांक/3938/202509111001093/वाचक/भू-अर्जन/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(शीट नं.-05, प्लॉट नं.-4/17)

योग

16.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-आमापारा गुढ़ियारी मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-रायपुरखास, प.ह.नं.-62

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.73 वर्गमीटर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांदा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/5277.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/278-279 रायपुर, दिनांक 09-04-2025 द्वारा श्री खेमलाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/मंडी/2025-26/688 राजनांदगांव दिनांक 22-09-2025 के माध्यम से श्री खेमलाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव का स्थानांतरण उपसंचालक चिकित्सा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर हो जाने से वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव में भारसाधक अधिकारी का पद रिक्त हो जाने से उनके स्थान पर श्री विश्वास कुमार डिप्टी कलेक्टर, राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री खेमलाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के स्थान पर श्री विश्वास कुमार डिप्टी कलेक्टर, राजनांदगांव को कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जनवरी 2025

क्रमांक/121/04/योजना/बीओसी/2024/164.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निम्नानुसार नवीन योजना “अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना” बनाती है :—

1. योजना का नाम :—

योजना का नाम “अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना” होगा।

2. योजना का उद्देश्य :—

मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण के उद्देश्य से जिलों में संचालित श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से विकास के समान अवसर प्रदान करना।

3. परिभाषाएं :—

- A. श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय : सीबीएसई, आईसीएसई, छ0ग0 राज्य बोर्ड, या आईबी जैसे— अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों की परीक्षाओं में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन। स्कूलों का कम से कम 5 वर्षों से अस्तित्व में होना आवश्यक है; पिछले 03 वर्षों में कक्षा 10वीं और 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत होना चाहिए, और कक्षा 9वीं और 11वीं (सामूहिक रूप से) में कम से कम 10 अतिरिक्त अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को प्रवेश देने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
- B. समस्त शुल्क : प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, गणवेश, पुस्तक कॉपी, छात्रावास, भोजन।
- C. निश्चित/ निर्धारित सीट संख्या : कुल आवेदनों को कुल स्कूलों की संख्या से भाग कर, सीटों का विभाजन किया जावेगा। (उदाहरण— 100 आवेदन, 10 स्कूल — प्रत्येक स्कूल में 10 छात्र/छात्राओं का प्रवेश)
- D. निर्धारित मापदण्ड : सरकार द्वारा किसी शैक्षणिक नीति या कार्यक्रम के अंतर्गत वह स्पष्ट दिशा-निर्देश या मानक होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इन मापदण्डों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करना है। ये मापदण्ड शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, छात्र नामांकन प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम, और अन्य शैक्षणिक संसाधनों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, ये मापदण्ड आरक्षण नीति, छात्र-शिक्षक अनुपात और विशेष वर्गों के लिए सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार,

निर्धारित मापदण्ड शैक्षणिक संस्थानों की पारदर्शिता और कार्यक्षमता में सुधार लाने का कार्य करते हैं। निर्धारित मापदण्ड नीचे दिए गए कंडिका 7 में उल्लेखित हैं।

- E. निर्धारित न्यूनतम आयु: भारतीय सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष है एवं अधिकतम आयु 12 वर्ष, या जन्म तिथि 1 अप्रैल, 2012 के बीच होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के अनुरूप है। शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने इस आयु सीमा को 2024-25 सत्र से लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किए हैं। इसी नियम के आधार पर इस योजना के तहत बच्चों का चयन किया जावेगा।
- F. चयन प्रवेश परीक्षा: वह परीक्षा होती है जिसे विशेष शैक्षणिक संस्थानों में छात्र भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा छात्रों की योग्यता, ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। यदि आवेदन की संख्या निर्धारित आबंटित सीटों से अधिक हो तो, आवेदन कर रहे बच्चों का चयन प्रवेश परीक्षा आयोजित कर उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षा का क्रियान्वयन मंडल द्वारा लिए गए निर्णय अनुरूप किया जावेगा।

4. योजना की पात्रता :-

- A. मंडल अंतर्गत 01 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चे ही योजना हेतु पात्र होंगे।
- B. इस योजना का लाभ लेने वाले बच्चे मंडल अंतर्गत संचालित शिक्षा/छात्रवृत्ति राशि संबंधी योजनाओं के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे, किन्तु :-
- बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 आने पर, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत, प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे।
 - 10वीं कक्षा के पश्चात् शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
- C. बच्चों को कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए शासन द्वारा विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।
- D. विद्यार्थी विगत वर्ष में छत्तीसगढ़ में संचालित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन किया हो।
- E. उपरोक्त पात्रता संबंधी शर्तों को पूर्ण करने पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सैनिक स्कूल एवं नवोदय विद्यालय हेतु चयनित होने वाले विद्यार्थी को भी सीधे योजनांतर्गत लाभ लेने की पात्रता होगी।

5. योजना का प्रावधान :-

- A. निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जिले के चयनित आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिलाया जाकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं में निःशुल्क अध्ययन का अवसर प्रदान किया जावेगा। उक्त विद्यालयों में अध्ययन में होने वाले समस्त शुल्क के संबंध में होने वाले व्यय का भुगतान आवासीय विद्यालयों को किया जावेगा। (भुगतान की विस्तृत जानकारी एवं विवरण कंडिका 7 एवं 9 के अनुसार होगा)

- B. छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह योजना संचालित होगी।
- C. प्रति वर्ष, कक्षा 6वीं में अधिकतम 100 छात्र/छात्राएं योजना में सम्मिलित होंगे, जिसमें 50-50 प्रतिशत सीटें, छात्र एवं छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। सीटें खाली रहने की स्थिति में, दूसरे वर्ग के बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। योजना अंतर्गत कुल सीट की संख्या को बढ़ाने/घटाने का अधिकार छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पास होगा, एवं वे इसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्णय अनुसार सम्बंधित हितधारकों को प्रेषित किया जावेगा।
- D. समस्त प्रक्रिया, ऑनलाइन के माध्यम से क्रियान्वयन की जावेगी – विद्यालयों के पंजीयन/इम्पैन्लमेंट से लेकर, भुगतान की जानकारी, एवं छात्र/छात्राओं के आवेदन से लेकर उनकी प्रगति की जानकारी तक।
6. योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया :-
- A. आवेदक स्वयं/श्रमेव जयते मोबाईल एप/ऑनलाइन विभागीय वेब पोर्टल (shramevjayate.cg.gov.in)/विकासखण्ड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र/ संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला श्रम कार्यालय अथवा नजदीकी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- B. आवेदन करने की समयावधि सत्र प्रारंभ होने के पूर्व 1-15 नवंबर तक होगी।
- C. सत्र प्रारंभ होने के पूर्व 15 नवंबर तक प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंधित जिला श्रम कार्यालयों द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत हितग्राहियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- D. प्रवेश परीक्षा : अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। सत्र प्रारंभ होने के पूर्व 01-15 दिसंबर के मध्य में यह परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- E. प्रावीण्य सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाले छात्र/छात्रा को वरीयता दी जावेगी।
- F. इसके उपरांत भी यदि पात्र छात्रों की संख्या सीट की संख्या के मुकाबले अधिक पाई जाती है, तो लाटरी के माध्यम से अंतिम सूची तैयार की जावेगी।
- G. विद्यालय में प्रवेश लेने की अवधि में यदि अंतिम प्रावीण्य सूची के किसी विद्यार्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता तो वेटिंग लिस्ट की सूची के विद्यार्थी को प्रावीण्य सूची के क्रम के आधार पर अवसर दिया जावेगा।
- H. ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न है। प्रवेश सुनिश्चित होने के उपरांत, विद्यालय जाने पर, पालक दस्तावेजों की मूल प्रति विद्यालय ले जावें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में योजना के लाभ हेतु अपात्र घोषित किया जावेगा एवं नियमानुसार हितग्राही के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:-

- a. हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की प्रति।
- b. हितग्राही का छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
- c. छात्र/छात्रा का आधार कार्ड की प्रति।
- d. छात्र/छात्रा का पूर्व की कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकसूची की प्रति।
- e. छात्र/छात्रा का वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत होने संबंधी प्रमाण पत्र।
- f. छात्र/छात्रा के पिछले कक्षा का टी.सी. (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) – केवल प्रवेश सुनिश्चित होने के पश्चात्
- g. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र:
 1. छात्र/छात्रा की आयु का प्रमाण पत्र।
 - परन्तु, यदि किसी शासकीय दस्तावेज में छात्र/छात्रा की उम्र पृथक पाई जाती है, उस स्थिति में वह शासकीय दस्तावेज की उम्र ही मान्य होगी।
 2. हितग्राही द्वारा अपने प्रथम 02 बच्चों के लिए ही आवेदन किया जा रहा है, उसे उल्लेखित करें।

7. संस्थाओं के चयन हेतु मापदंड :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालयों को ही इस योजना में सम्मिलित किया जावेगा।

क्र	सुविधाओं का विवरण	मापदंड	विवरण
1.	संस्था का निजी भवन एवं छात्रावास	(i) संस्था का स्वयं का/किराए का विद्यालय एवं छात्रावास भवन होना आवश्यक है। (ii) संस्था में विभिन्न खेलों के लिए मानक खेलकूद का मैदान, खेल सुविधा एवं समृद्ध तथा सुविधायुक्त पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। (iii) विद्यालय के पास छात्र/छात्राओं के लिए कम से कम 50-50 सीटर सुसज्जित एवं पर्याप्त सुविधायुक्त स्वयं का पृथक-पृथक मानक छात्रावास भवन होना चाहिए। (iv) 50 सीटर कन्या छात्रावास में नियमानुसार महिला अधीक्षक, महिला सुरक्षा गार्ड एवं महिला कर्मचारी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। (v) छात्रावास का संचालन यदि किराये के भवन में किया जा रहा है, तो उसकी लीज अवधि (अनुबंध), इस विभाग के साथ संस्था का अनुबंध दिनांक से कम से कम 10 वर्ष शेष होना चाहिए।	15
2.	शयन व्यवस्था तथा फर्नीचर	प्रत्येक विद्यार्थी हेतु पृथक-पृथक पलंग, गद्दा, ओढ़ने एवं बिछाने के दो चादर, एक तकिया, दो तकिया कवर, कंबल एवं मच्छरदानी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त सामग्री के रूप में कपड़े रखने के लिए एक अलमारी तथा पढ़ने के लिए टेबल एवं कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए।	10

क्र	सुविधाओं का विवरण	मापदंड	विवरण
3.	कम्प्यूटर व्यवस्था / डिजिटल क्लास	शाला में कम से कम 10 कम्प्यूटर के साथ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध एवं विद्यार्थियों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था हो।	05
4.	स्वास्थ्य सुविधा	विद्यार्थियों की चिकित्सा सुविधा हेतु डॉक्टर / चिकित्सालय से संस्था का अनुबंध अथवा विद्यालय में ही डॉक्टर / चिकित्सालय का प्रावधान होना चाहिए।	10
5.	भोजन व्यवस्था	छात्र-छात्राओं को सुबह एवं शाम को नास्ता, जिसमें मौसमी फल एवं एक गिलास दूध का समावेश हो, अनिवार्य रूप से दिया जावे। दिन में दो बार भोजन, जिसमें दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियाँ, पनीर, अंडा (यदि छात्र मांसाहारी हो) एवं पापड़ आदि का समावेश हो, दिया जावे। भोजन विविधतायुक्त सुरुचिपूर्ण, सुपाच्य एवं पौष्टिक होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जावे कि भोजन संबंधी सामग्री गुणवत्तापूर्ण हो।	10
6.	फैकल्टि	CBSE/ICSE पाठ्यक्रमों के मापदंड के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ हो।	10
7.	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय गतिविधियों में प्रतिनिधित्व	ओलंपियाड, विज्ञान पहेली, JEE (मेन/एडवांस) एवं NEET आदि में संस्था का समुचित प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता हो। एवं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संज्ञानात्मक गतिविधियों में छात्र-छात्राओं की सहभागिता हो।	10
8.	विद्यालय सुरक्षा	भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालय सुरक्षा पर दिशा-निर्देश के अनुसार विद्यालय संचालित हो।	10

8. विभिन्न समितियों का गठन :-

A. योजना के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति के सदस्य-

- सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
- उपश्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय (श्रमायुक्त द्वारा नामांकित)
- लेखाधिकारी, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
- स्कूल शिक्षा विभाग से संचालक अथवा उनके प्रतिनिधि
- सहायक श्रमायुक्त, जिला-रायपुर छ0ग0
- श्रम पदाधिकारी, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
- सम्बंधित स्कूलों के प्रतिनिधि

B. विद्यालयों के चयन हेतु राज्य स्तरीय समिति के सदस्य-

- सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
- उपश्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय (श्रमायुक्त द्वारा नामांकित)
- अवर सचिव, श्रम विभाग

- iv. लेखाधिकारी, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
 - v. स्कूल शिक्षा विभाग से संचालक अथवा उनके प्रतिनिधि
 - vi. सहायक श्रमायुक्त, जिला-रायपुर छ0ग0
 - vii. श्रम पदाधिकारी, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
- C. जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के सदस्य-
- i. जिला कार्यालय प्रमुख (ALC/LO/ALO), श्रम विभागीय
 - ii. जिला शिक्षाधिकारी (सम्बंधित जिले से)
 - iii. श्रम निरीक्षक (सम्बंधित जिले से)

9. संस्थाओं का इम्पैन्लमेंट :-

a. इम्पैन्लमेंट संस्थाओं से अनुबंध की प्रक्रिया-

- i. उत्कृष्ट संस्थाओं के चयन हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से 'रुचि की अभिव्यक्ति' के तहत आवेदन आमंत्रित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा। आवासीय विद्यालयों के साथ चर्चा के पश्चात् उनसे रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव लिया जावेगा।
- ii. प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विद्यालयों के निरीक्षण हेतु सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा जिला स्तरीय निरीक्षण समिति गठित की जायेगी। (अधिसूचना के कंडिका 8. विभिन्न समितियों का गठन:- के बिन्दु क्रमांक C. में विस्तारित)
 - 1. यह समिति योजना की कंडिका 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर संबंधित संस्थाओं का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन सचिव, भवन एवं सन्निर्माण कार्य कर्मकार मंडल को प्रस्तुत करेगी।
 - 2. समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयनित समस्त विद्यालयों का इम्पैन्लमेंट किया जायेगा जो कि अधिकतम 03 वर्षों के लिए मान्य होगा।
- iii. छत्तीसगढ़ श्रम विभाग एवं इम्पैन्लमेंट संस्था के मध्य एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध की शर्तों को द्वितीय पक्ष अर्थात् संस्था संचालक को मानना अनिवार्य होगा। अनुबंध में मुख्यतः, संस्था का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उक्त संस्था से निकालकर अन्य संस्था में प्रवेश दिलाए जा सकने तथा उन पर विधिक कार्यवाही की जा सकने, जिसमें संस्था को काली सूची में डालने का उल्लेख एवं संस्था को देय शुल्क/राशि में कटौती किए जा सकने संबंधी शर्तें सम्मिलित होंगी।
- iv. रुचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव में निम्नांकित जानकारियां एवं अभिलेख सम्मिलित किए जाने हैं-
 - 1. संस्था का संबंधित बोर्ड में पंजीकृत होने संबंधी नवीनतम प्रमाण पत्र एवं पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधी अभिलेख।

2. कंडिका 7. में उल्लेखित मापदण्ड को पूर्ण करने की पुष्टि हेतु बिन्दुवार प्रमाणित अभिलेख।
 3. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, मुख्यालय नवा रायपुर के पक्ष में देय रू. 01.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) का एफ.डी.आर.। यह एफ.डी.आर योजना के सफल संचालन पर अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् वापसी योग्य होगा।
 4. प्रस्ताव एवं सहमती पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाना है।
 - a. सहमति पत्र— संस्था इस योजना के नियम एवं प्रावधानों से भली-भांति परिचित हैं तथा उसका पालन करने हेतु सहमत है।
 - b. संस्था का नवीनीकरण—
 1. नियत अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरांत आवश्यक होने पर नवीनीकरण निम्नांकित आधारों पर आगामी तीन वर्ष हेतु किया जा सकेगा, जिसका निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध किया जावेगा।
 1. योजनांतर्गत संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम।
 2. संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षणिक वातावरण एवं अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता।
 3. छात्रावास के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन तथा भोजन व्यवस्था आदि की गुणवत्ता।
 4. अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी एवं उपलब्धियाँ।
 5. निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के प्रतिवेदन एवं अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं/पालकों से लिए गए फीडबैक।
 - c. इम्पैन्लमेंट संस्थाओं का शुल्क निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रिया—
 - I. ऑनलाइन पंजीयन के समय, विद्यालय को शुल्क/फीस की संरचना प्रदान करना आवश्यक है — प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास किराया, भोजन, चिकित्सा सुविधा, 02 सेट गणवेश, 02 सेट मोजे, 02 सेट जूते, रात्रिकालीन गणवेश, शीतकालीन गणवेश, क्रीडा गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं अन्य कोई शुल्क जो अन्य बाह्य विद्यार्थियों से लिये जाते हैं, सम्मिलित होंगे — जिसके आधार पर उन्हें भुगतान किया जावेगा।
 - II. संस्था को भुगतान एडवांस में, तिमाही रूप से किया जावेगा।
10. संस्था का दायित्व :-
- अतिरिक्त कक्षाएं/ रेमेडियल क्लासेस (Remedial Classes)/विशेष कोचिंग: विद्यार्थियों को पृथक से द्यूशन पढ़ना ना पड़े, इस हेतु, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था 'इवनिंग क्लास' के रूप में की जाए, ताकि यह विद्यार्थी भी बाकी विद्यार्थियों की तरह विषयों में दक्ष बन सकें। यह कक्षाएं पूरे वर्ष संचालित किये जा सकते हैं।

- **ब्रिज कोर्स:** ब्रिज कोर्स का उद्देश्य प्रवेशित विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान कर उनके शैक्षणिक स्तर में जल्दी सुधार लाना है ताकि उनमें कक्षा अनुरूप दक्षता का विकास हो सके। यह 03 से 06 महीनों तक, प्रवेशित छात्र/छात्रा की आवश्यकतानुसार आयोजित जा सकता है।
- **शिक्षकों की संवेदनशीलता:** शिक्षकों को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना आवश्यक है, जिससे उन्हें कक्षा में बेहतर ढंग से शामिल किया जा सके और व्यक्तिगत ध्यान मिल सके। इसके लिए प्रधानाचार्य शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र नियमित रूप से आयोजित करें जिसमें शिक्षण के विभिन्न कौशल जैसे 'Differentiated Teaching' का प्रशिक्षण प्राप्त हो।
- **शिक्षकों को सांस्कृतिक क्षमता प्रशिक्षण:** शिक्षकों को विभिन्न संस्कृतियों, परम्पराओं, और सामाजिक मानदंडों के बारे में जागरूक करना ताकि वे विविधता का सम्मान कर सकें। शिक्षकों को विभिन्न भाषाओं और बोलियों से परिचित कराना ताकि वे बहुभाषी छात्रों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सकें। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना कि वे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को पहचानें और उनके आधार पर कोई भेदभाव न करें।
 - **विविध पाठ्यक्रम:** स्कूल अपने छात्रों की विविधता को प्रतिबिंबित करने वाले सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि साहित्य, इतिहास और समाजशास्त्र। यह छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में सीखने में मदद कर सकता है और विविधता के प्रति सराहना विकसित कर सकता है।
- **समग्र विकास:** अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ, इन विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाए, जिसमें सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और कौशल निर्माण के अवसर शामिल हों। प्रवेशित विद्यार्थियों को स्कूल स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं में सम्मिलित किया जाए।
- **समावेशी सीखने का माहौल:** स्कूलों को एक समावेशी वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिससे वंचित पृष्ठभूमि से आए बच्चों को स्वागत, सम्मान और मूल्यवान महसूस हो। कक्षा अंतर्गत बैठने की व्यवस्था पृथक से ना की जावे, ना कि शयन, भोजन आदि की व्यवस्था।
- **काउन्सलिंग:** प्रवेशित विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए एवं उनकी मानसिक अवस्था एवं नए परिवेश में होने वाले समस्याओं को समझने के लिए, माह में दो बार काउन्सलिंग का प्रावधान अनिवार्य हो।
- **करियर काउन्सलिंग:** विद्यार्थियों की काउन्सलिंग की जाकर उनकी रुचि एवं क्षमता की जानकारी एकत्र कर प्रत्येक छात्र को उसकी क्षमता एवं रुचि के अनुरूप संबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
- **अभिभावक-टीचर मीटिंग:** स्कूलों में प्रति वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ शिक्षकों की मीटिंग आयोजित की जाए।

- रिपोर्टिंग: स्कूल प्रति 3 माह में प्रवेशित विद्यार्थियों की गतिविधियों की जानकारी एवं स्कूल के द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी, निर्धारित प्रपत्रानुसार, ऑनलाइन माध्यम से, विभाग को देंगे।
- बडी/मेंटर: स्कूल में बच्चों के लिए बडी या मेंटर सिस्टम विकसित करने से न केवल उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि यह सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक होता है। एक अच्छे बडी या मेंटर का समर्थन बच्चों को सीखने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, जिससे उन्हें सुरक्षित और समर्थ महसूस होता है। यह बडी उनकी कक्षा से एक छात्र/छात्रा एवं मेंटर बडी कक्षा का छात्र/छात्रा हो सकते हैं।

11. जिला स्तरीय दायित्व :-

- जिला श्रम अधिकारी, नोडल अधिकारी के रूप में, विद्यालय, विद्यार्थी एवं विद्यार्थियों के पालक के बीच की एक कड़ी के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे।
- उनका उत्तरदायित्व होगा की वह सभी पक्षों की बात को सुने, उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें, समय समय पर अवलोकन करें एवं श्रम विभाग के साथ प्रति माह अवलोकन की विस्तार पूर्वक रिपोर्ट साझा करें, जिसका निर्धारित प्रपत्र साझा किया जावेगा।
- नोडल अधिकारी प्रति माह दो विद्यालयों की समीक्षा करेंगे जिसमें शिक्षक, प्रचार्य एवं विद्यार्थियों से शैक्षणिक गुणवत्ता एवं व्यक्तित्व विकास से संबंधित चर्चा करेंगे एवं न्यूनतम 2-3 कक्षा का अवलोकन सुनिश्चित करेंगे।
- नोडल अधिकारी समय-समय पर विद्यालय से समन्वय कर छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं व्यक्तित्व विकास का अवलोकन कर काउंसलिंग करेंगे।
- पालकों के साथ, तिमाही बैठक करना सुनिश्चित करेंगे।

12. योजना की समीक्षा :-

- प्रत्येक चयनित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्माण श्रमिकों के बच्चों के प्रगति के संबंध में नियमित रूप से निरीक्षण हेतु उक्त जिले के कार्यालय प्रमुख नोडल अधिकारी होंगे।
- नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह प्रगति रिपोर्ट सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को प्रेषित किया जावेगा।
- आवासीय विद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक छात्र की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड करना आवश्यक है, जिसका प्रपत्र पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- छात्रों एवं पालकों के साथ वार्षिक सर्वे किया जाना है, जिसमें उनके अनुभव एकत्रित किये जावेंगे।
- छात्रों एवं पालकों को समस्या निवारण हेतु हेल्पलाइन एवं नोडल अधिकारी की जानकारी प्रदान की जावेगी।

13. योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण—

- प्राथमिक कक्षा स्तर पर जिला अधिकारी
- योजना में उल्लेखित शर्तों/ नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

14. योजना का प्रभावशीलन—

- यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशील होगी।

15. समय प्रणाली (टाइम-टेबल)—

कार्य	दिनांक	दायित्व	टीप
आवेदन	01-15 नवम्बर	पालक	
आवेदन जांच	15-30 नवंबर	जिला अधिकारी	
प्रवेश परीक्षा	01-15 दिसम्बर	मंडल के निर्देशानुसार	
प्रवेश	15-30 दिसम्बर	निजी आवासीय विद्यालय	
समीक्षा	जून, अक्टूबर, दिसम्बर, मार्च	जिला अधिकारी	
समीक्षा सर्वे	मई - जून	श्रम विभाग	

टीप : तिथि के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जायेगा.

एस. एस. पैकरा
सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मार्च 2025

क्रमांक/98/04/योजना/बीओसी/2025/168.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/98/04/योजना/बीओसी/2023/151 दिनांक 31-08-2023 के कण्डिका (घ) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक 8. को सम्मिलित कर निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है :—

“मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” :—

(घ) **योजना हेतु पात्रता :—**

बिन्दु क्रमांक-8. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अधिनियम 1948 एवं कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) 1952 के तहत लाभ लेने वाले हितग्राही उक्त योजनान्तर्गत पेंशन हेतु पात्र नहीं होंगे.

को सम्मिलित किया जाता है.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 मई 2025

क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2023/169 :- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छोगो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" की अधिसूचना क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2022/145 दिनांक 30.06.2023 के कण्डिका (ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 दिनांक 09.06.2020 के कण्डिका (घ) योजना की पात्रता, कण्डिका (ज) भुगतान की प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:-

योजना का नाम :- "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना"

(ग) योजनांतर्गत देय लाभ राशि :-

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वर्तमान में देय हितलाभ निम्नानुसार है :-

स.क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1	सामान्य मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2	कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	5 लाख रुपये
3	कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर	2 लाख 50 हजार रुपये

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित विवरण एवं अनुदान राशि को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता है -

स.क्र.	विवरण	अनुदान राशि
1	सामान्य मृत्यु पर	1 लाख रुपये
2	कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	5 लाख रुपये
3	कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर	2 लाख 50 हजार रुपये
4	अपंजीकृत श्रमिक के कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर	1 लाख रुपये

(घ) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक 4. में संशोधित किया जाता है :-

बिन्दु क्र० 4. "योजना के तहत केवल पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु पर नहीं।" के स्थान पर -

"योजना के तहत केवल निर्माण श्रमिक के मृत्यु पर ही योजना का लाभ दिया जावेगा परिवार के सदस्य के मृत्यु पर नहीं।"
संशोधित किया जाता है।

(ज) भुगतान की प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 6. एवं बिन्दु क्रमांक 7. को सम्मिलित किया जाता है :-

बिन्दु क्र० 6. "अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर वैध उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन कर अधिसूचना अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

बिन्दु क्र० 7. "अपंजीकृत निर्माण श्रमिक के मृत्यु के आवेदनों में संबंधित जॉचकर्ता द्वारा आवेदन निराकरण के समय जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जुलाई 2025

क्रमांक/121/04/योजना/बीओसी/2025/170 - "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छ०ग० भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/121/04/योजना/बीओसी/2024/164 दिनांक 08.01.2025 के कंडिका 9 - (a) (i) में आंशिक संशोधन एवं कंडिका 6-D, कंडिका 9 -a (i) एवं कंडिका 16 - को निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है :-

कंडिका 6.(D)-

अथवा

"प्राप्त आवेदनों में छात्र/छात्रा के कक्षा 05 वीं में प्राप्तांक के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पात्र विद्यार्थियों की प्रावीण्य सूची जिलावार तैयार कर विद्यार्थियों का चयन किया जावेगा।"

कंडिका 9. (a)(i)–

उत्कृष्ट संस्थाओं के चयन हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से 'रूचि की अभिव्यक्ति' के तहत आवेदन आमंत्रित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा। आवासीय विद्यालयों के साथ चर्चा के पश्चात उनसे रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव लिया जावेगा।"

के स्थान पर–

"उत्कृष्ट संस्थाओं के चयन हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से 'रूचि की अभिव्यक्ति' के तहत आवेदन आमंत्रित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर संस्थानों को नियमानुसार इम्पैनल्ड किया जावेगा।"

अथवा

"शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ0ग0 शासन द्वारा संचालित "पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना" अंतर्गत निर्धारित दरों पर इम्पैन्लमेंट संस्थानों/विद्यालयों से अनुबंध किया जाकर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अधिसूचित "अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना" संचालित की जावेगी।"

कंडिका 16.–

"योजना के नियम/शर्तों अथवा उसके क्रियान्वयन के संबंध में शिथिलीकरण शासन के अनुमोदन पश्चात् सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जा सकेगा।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

गिरीश रामटेके
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2025

क्रमांक 18075/चेकर/तीन-10-11/2000.—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9926/तीन-10-11/2000 दिनांक 23 नवम्बर, 2017 एवं 11056/चेकर/तीन-10-11/2000 दिनांक 24 जून, 2025 जिनका संबंध जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा शिविर न्यायालय कुरुद में लगाये जाने से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है क्योंकि उक्त स्थान पर नियमित रूप से एक न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1050/गोपनीय/2025/दो-दो-एक/2025 दिनांक 22-08-2025 द्वारा की जा चुकी है।

No. 18075/Checker/III-10-11/2000.—The Notification no. 9926/III-10-11/2000 dated 23 November, 2017 and 11056/Checker/III-10-11/2000 dated 24 June, 2025 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur related with holding Camp Court of the District and Additional Sessions Judge, Dhamtari at Kurud is hereby discontinued after regular posting of one Judicial Officer at Kurud vide Registry order no. 1050/Confdl./2025/II-2-1/2025 dated 22-08-2025.

Bilaspur, the 6th September 2025

No. 18077/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Present Civil District (4)
1.	Ku. Himanshi Sarraf, J.M.S.C. Surajpur	Surajpur	Surajpur
2.	Ku. Shruti Sahu, J.M.S.C. Bemetara	Bemetara	Bemetara
3.	Ku. Sarvika Chaturvedi, J.M.S.C., Bemetara		

By Order of the High Court,
MANSOOR AHMED, I/C Registrar General.

Bilaspur, the 6th September 2025

No. 26/L.G./2025/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, the then Principal District & Sessions Judge, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 04 days form 17-09-2024 to 20-09-2024, earned leave for 09 days form 23-09-2024 to 01-10-2024 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 04 days from 02-10-2024 to 05-10-2024 in continuation of earned leave from 23-09-2024 to 01-10-2024 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 15 days from 18-11-2024 to 02-12-2024 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 02 days from 16-12-2024 to 17-12-2024 along with permission to remain out of headquarters after the National Lok Adalat on 14-12-2024 till 18-12-2024 and earned leave for 06 days from 28-07-2025 to 02-08-2025 along with permission to remain out of headquarters from 27-07-2025 till 03-08-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 297 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th September 2025

No. 27/L.G./2025/II-3-28/2008.—Smt. Girija Devi Meravi, Principal District and Sessions Judge, Mungeli is hereby, granted earned leave for 05 days from 22-03-2025 to 26-03-2025 along with permission to remain out of headquarters and earned leave for 06 days from 23-06-2025 to 28-06-2025 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Meravi, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 8th September 2025

No. 28/L.G./2025/II-3-36/2010.—Smt. Kirti Lakra, the then Judge, Family Court, Mungeli is hereby, granted earned leave for 01 day on 01-01-2025 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 29-12-2024 to 01-01-2025 and child care leave for 22 days from 11-02-2025 to 04-03-2025 along with permission to remain out of headquarter.

During the period of earned leave and child care leave, as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Lakra, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 283 days of earned leave and 660 days of child care leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 8th September 2025

No. 29/L.G./2025/II-2-17/2019.—Smt. Saroj Nand Das, Judge, Family Court, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 09 days from 03-09-2024 to 11-09-2024 along with permission to remain out of headquarter from the evening of 02-09-2024 till before the Court hours of 12-09-2024.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Das, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 8th September 2025

No. 30/L.G./2025/II-2-7/2025.—Smt. Heemanshu Jain, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted child care leave for 05 days from 03-03-2025 to 07-03-2025 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 01-03-2025 till the morning of 08-03-2025, earned leave for 03 days from 15-04-2025 to 17-04-2025 along with permission to remain out of headquarters after the court hours of 11-04-2025 till before the Court hours of 21-04-2025 and child care leave for 15 days from 29-08-2025 to 12-09-2025 along with permission to remain out of headquarters after the court hours of 26-08-2025 till before the court hours of 13-09-2025.

During the period of child care leave and earned leave as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Jain, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 696 days of child care leave and 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)